

कार्यालय उपजिलाधिकारी अकबरपुर, जनपद—अम्बेडकर नगर

पत्रांक—८७/एस०टी०—एस० ई०० एम० / प्र०७० / २०२०

दिनांक: २५ नवम्बर, २०१०

लैंडयूज प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्राम— प्रतापपुर चमुखी, तहसील— अकबरपुर, जनपद— अम्बेडकरनगर की भूमि गाठा संख्या २८१०/०.१२८५०, व गाठा संख्या २८२६८/०.१९०५०, २८२६८/०.१२८५०, २८६१/०.१५७, ३०२९/०.२१०५० पर मालती देवी/विजय यादव व सरयू देवी पत्नी अमरयराज, प्राम प्रतापपुर चमुखी तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर के नाम अंकित है तथा उपजिलाधिकारी अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा वाद संख्या क्रमशः २४५/२०१३, २४६/२०१३, २४७/२०१३ दिनांक २६.०९.२०१३ धारा ८० उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता –२००६ के अन्तर्गत अकृषक घोषित है। उक्त ३०२९ पर कालेज का भवन निर्मित है इस भूखण्ड का प्रयोग कार्य हेतु किया जायेगा। अतः उक्त ३०२९ का भू—प्रयोग कृति कार्य से भिन्न शैक्षिक कार्य के प्रयोजनार्थ है।



उपजिलाधिकारी

तहसील—अकबरपुर, अम्बेडकरनगर